25-03-2023

QS University Ranking 2023

समाचार पत्रों में क्यों?

हर साल क्वाकारेली साइमंड्स - क्यूएस (QS) यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में विश्व के कई प्रसिद्ध और टॉप संस्थान हिस्सा लेते हैं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट 2023 विषयों के आधार पर भी जारी की जा चुकी है।

त्वरित मुद्दा?

- क्यूएस ने यूनिवर्सिटी का 13वां संस्करण जारी की गई है। जिसमें विषयों के आधार पर भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। जारी विषयों के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट में 100 टॉप कोर्सेस में भारत के 44 कोर्सेस को शामिल किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- रैंकिंग 54 शैक्षणिक विषयों को कवर करती है, भारतीय विश्वविद्यालयों ने कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन और भौतिकी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है।
- अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) पहले स्थान पर है, इसके बाद क्रमशः यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का स्थान है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (IoE) के नेतृत्व में भारत ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है, जिसमें उनकी संबंधित विषय श्रेणियों में 44 पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पेश किये गए हैं और वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हैं।
- सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस (दंत चिकित्सा कार्यक्रम में)- विश्व स्तर पर 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
- IIT-कानपुर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 87वें स्थान पर)

QS World University Rankings by Subject 2023

Declared Institute of Eminence*	2023 entries	2022 entries	Improved	Declined	Unchanged	New
University of Delhi	27	26	7	12	6	2
Indian Institute of Technology Bombay	25	24	8	8	8	1
Indian Institute of Technology Kharagpur	23	22	10	3	8	2
Indian Institute of Science	18	18	6	4	8	
Indian Institute of Technology Madras	18	17	8	3	6	1
Indian Institute of Technology Delhi	17	17	7	4	5	1
Birla Institute of Technology and Science	10	10	5		5	
Banaras Hindu University	7	8		1	6	
Manipal Academy of Higher Education*	6	4	3		1	2
University of Hyderabad	5	4	1	2	1	1
O.P. Jindal Global University*	2	1		1		1
TOTAL	158	151	55	38	54	11

पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल।

- IIT-मद्रास (पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21वें स्थान पर)।
- IIT-बॉम्बे (गणित में 92वें स्थान पर)।
- IIT-दिल्ली (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वें स्थान पर)।

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (समाजशास्त्र में 68वें स्थान पर)।
- चीन में 21.9% सुधार के बाद भारत एशिया में दूसरा सबसे बेहतर देश है, जिसके समग्र प्रदर्शन में वर्ष दर वर्ष 17.2% सुधार हुआ है।
- QS दुनिया का वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र हेतु सेवाओं, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि का अग्रणी प्रदाता है।
- विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके।
- इस वर्ष की रैंकिंग में तीन नए विषय शामिल हैं: डेटा साइंस, कला का इतिहास और मार्केटिंग।

मानहानि का केस और सांसदों की अयोग्यता

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, सूरत की सेशन कोर्ट ने "मोदी उपनाम" को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है।

त्वरित मुद्दा?

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में यह कहने के लिए दोषी ठहराया कि 'सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी।
- यह टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान की गई थी।
- अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके पर राहुल गांधी की जमानत को भी मंजूरी दे दी और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- मानहानि के उक्त प्रकरण में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
- आईपीसी की धारा 499 में विस्तार से बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है- फिर वह चाहे बोलने या पढ़ने, संकेतों अथवा दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से हो।
- यह या तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिये उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा।

- आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 के तहत ज़ुर्माने के साथ या बिना ज़ुर्माने के दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
- मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाता है, जबकि आमजन में इसे साधारण नज़रिये से देखा जाता है।
- जान-बूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई भी झूठ और गैर-कानूनी बयान मानहानि की दृष्टि से देखा जाता है।
- मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सज़ा का प्रावधान था।
- संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालाँकि अनुच्छेद 19 (2) ने इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएँ भी निर्धारित की हैं जैसे- न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिये उकसाना।

अन्य प्रमुख तथ्य?

सांसद के दोषी होने की स्थिति में

- दोषसिद्धि एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है यदि जिस अपराध हेतु उसे दोषी ठहराया गया है वह जनप्रतिनिधित्व (Representation of the People- RPA) अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध है।
- धारा 153A (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना) या धारा 171E (रिश्वतखोरी) या धारा 171F (किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध) तथा कुछ अन्य इस खंड में शामिल हैं।
- RPA की धारा 8(3) में कहा गया है कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम-से-कम 2 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि इस धारा में यह भी कहा गया है कि अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से "तीन महीने बीत जाने के बाद" ही प्रभावी होती है।
- इस अवधि के भीतर सज़ायाफ्ता सांसद सज़ा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

- भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
- सार्वजनिक रूप से की गई गलती वह गलती है जिसका निवारण मौद्रिक मुआवज़े के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडित कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है।
- दंडनीय अपराध में मानहानि को संदेह से परे होना चाहिये, लेकिन एक सिविल मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हर्ज़ाने का प्रावधान किया जा सकता है।
- इस बात पर प्रायः तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य हैं और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है और यह कि आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक और मानव अधिकार दोनों है।

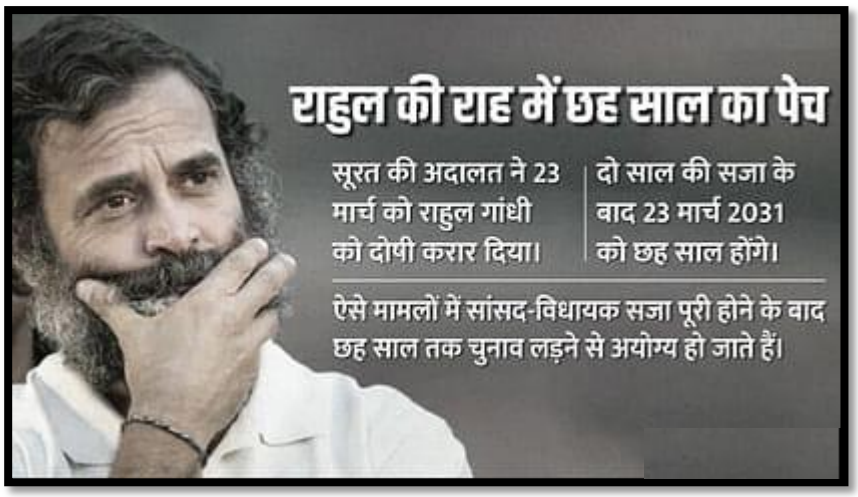

- न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की।
- 'मौलिक अधिकारों के संतुलन' के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को "इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, को ठेस पहुँचे"।
- **महेंद्र राम वनाम हरनंदन प्रसाद (1958):** वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था। इसलिये उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में यह माना गया कि चूँकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिये प्रतिवादी का कार्य मानहानि के समान है।
- **राम जेठमलानी वनाम सुब्रमण्यम स्वामी (2006):** दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉ. स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी की मानहानि करने हेतु दोषी ठहराया कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले से बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था।
- **श्रेया सिंघल वनाम भारत संघ (2015):** यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की असंवैधानिक धारा 66A को शामिल किया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने हेतु दंडित करती है।